भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 518
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया गया)
कंपनियों के विरुद्ध जांच

518. श्रीमती वी. सत्यबामाः
श्री प्रहलाद पटेलः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चिट फण्ड/एमएलएम/पोंजी कार्यकलापों में सम्मिलित पाई गई कंपनियों के कार्यों की जांच का कोई आदेश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा चिट फंडों या चिट फंड कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 में नए उपबंध प्रदान करने के लिए और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): चिटफंड या 'चिटफंड कंपनियों' के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 में कोई प्रावधान नहीं है। इस आशय के प्रावधान चिटफंड अधिनियम, 1982 में हैं जो कि वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा प्रशासित एक केन्द्रीय अधिनियम है परंतु इसके कार्यान्वयन की शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों में निहित की गई हैं जो चिटफंड चलाने वाली संस्थाओं का पंजीकरण करती हैं और उनके मामलों का नियमन करती हैं तथा बिना पंजीकरण के चिटफंड चलाने वाली कंपनियों सहित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ तथाकथित चिटफंड/एमएलएम/पोंजी कार्यकलापों की श्रेणी आने वाली 185 कंपनियों के मामलों की गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने हेतु जांच कराई है। एसएफआईओ के माध्यम से जिन कंपनियों के जांच

का आदेश दिया गया है उनका राज्य-वार विवरण और उनकी स्थिति का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

<u>दिनांक 18 नवंबर, 2016 को लोक सभा में उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 518 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक</u>

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (31.10.2016 तक) के दौरान चिटफंड/एमएलएम कंपनियों के राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण जिनके विरूद्ध जांच का आदेश दिया गया है।

2013-14

क्र.सं.	राज्य	जांच आदेश हेतु कंपनियों की संख्या	जांच पूरी की गई
1	पश्चिम बंगाल	57	57
2	असम	01	01
3	उत्तर प्रदेश	05	05
	कुल	**63**	**63**

2014-15

क्र.सं.	राज्य	जांच आदेश हेतु कंपनियों की संख्या	जांच पूरी की गई
1	पश्चिम बंगाल	29	29
2	झारखंड	02	02
3	बिहार	02	02
4	उड़ीसा	18	-
	कुल	**51**	**33**

2015-16

क्र.सं.	राज्य	जांच आदेश हेतु कंपनियों की संख्या	जांच पूरी की गई
1	पश्चिम बंगाल	26	10
2	उड़ीसा	28	-
3	महाराष्ट्र	25	-
4	पंजाब	21	-
5	राजस्थान	21	-
6	असम	26	-
	कुल	**47**	**10**

2016-17

क्र.सं.	राज्य	जांच आदेश हेतु कंपनियों की संख्या	जांच पूरी की गई
1	महाराष्ट्र	01	-
2	पश्चिम बंगाल	19	01
3	उड़ीसा	01	-
4	असम	03	-

	कुल	**24**	**01**

*****